रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012022-232721
CG-DL-E-18012022-232721

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2022

सं. 1/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 26(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा उन वस्तुओं को जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आती हैं, जब उनका आयात अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के द्वारा एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के आयोजन के लिए भारत में किया जा रहा हो, उक्त टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत उन पर लगाये जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है।

तालिका

क्रम संख्या	मद	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	निम्नलिखित वस्तुएं;- i. केलमी रेफरी किट्स, बॉल बॉय यूनिफॉर्म और मैच-डे बिब्स	(क) आयातकर्ता, वस्तुओं के क्लियरेंस के समय सीमाशुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसी भी स्थिति हो, के समक्ष निदेशक अथवा उप निदेशक (खेल) खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ऐसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत

	ii. अरामेक्स के माध्यम से भेजी गई प्रतियोगिता संबंधी वस्तुएं iii. आधिकारिक मॉल्टन मैच बॉल्स iv. केलमी एएफसी प्रतिनिधिमंडल/ स्वयंसेवक के कपड़े v. देश के झंडे vi. स्लीव्स बैजेज vii. डब्ल्यूएसी मिनी ट्रॉफी	करता हो जिसमें ये दर्शाया गया हो कि वस्तुओं का आयत एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के संबंध में किया गया है। (ख) आयातकर्ता, वस्तुओं के क्लियरेंस के समय इस बात की भी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेगा कि– I. कि इन सभी वस्तुओं जिनमें गिफ्ट आइटम, सूवेनीर, मेमेन्टों को शामिल नहीं किया गया है, एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के संपन्न होने की तारीख से तीन महीने के भीतर पुन: निर्यात कर दिया जाएगा। II. खपत हो जाने वाली वस्तुओं के संबंध में एएफसी महिला एशियन कप भारत, 2022 के संपन्न होने की तारीख से 3 महीने के भीतर निदेशक अथवा उपनिदेशक (खेल), खेल विभाग, युवा एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/4/2022-टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2022

No. 1/2022-Customs

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (2) of the Table below and falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India by All India Football Federation for the purpose of organising the AFC Women's Asian Cup India, 2022, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule and from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act, subject to the conditions specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Items	Conditions
(1)	(2)	(3)
1.	The following goods: i. Kelme Referee kits, ball boy uniform and match-day bibs ii. Competitions goods shipped using Aramex iii. Molten official match balls	a) The importer, at the time of clearance of the goods, produces a certificate to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the case may be, from the Director or Deputy Secretary (Sports), Department of Sports, the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, indicating that the said goods are required in relation to the AFC Women's Asian Cup India, 2022. b) The importer, at the time of clearance of the goods, furnishes an undertaking that, -

	iv. Kelme AFC delegations / volunteers attire v. Country Flags vi. Sleeves Badges vii. WAC mini-Trophy	i. all such goods, excluding gift items, souvenirs, mementoes shall be re-exported within three months from the date of conclusion of AFC Women's Asian Cup India, 2022. ii. a utilisation certificate for the goods consumed shall be furnished from the Director or Deputy Secretary (Sports), the Department of Sports, the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, within three months from the date of conclusion of AFC Women's Asian Cup India, 2022.

[F. No. CBIC-190354/4/2022-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.18 22:06:54 +05'30'